COURT FEE — भारत INDIA — TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान ~~अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म.प्र.~~

1. किशोरीलाल पिता जगदीश प्रसाद पटेल
2. कालका प्रसाद पटेल तनय जदगीश प्रसद पटेल
   निवासी ग्राम निवारों तह. पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र. ..... आवेदक

R-1528-II/12

//विरूद्व//

18 JAN 2012

1. ललन्जू तनय पुनु अहिरवार
   निवासी ग्राम निवरो तहसील पलेरा जिला
   टीकमगढ म.प्र.
2. श्रीमति विमला पत्नि संतराम वंशकार
   निवासी ग्राम तिलहरा तहसील मउरानीपुर
   जिला–झांसी उ.प्र.
3. रामसेवक तनय गनेश वरार
   निवासी ग्राम निवरो तहसील पलेरा जिला
   टीकमगढ म.प्र. .... अनावेदकगण

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर टीकमगढ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 31 /बी–121 वर्ष 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2011 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैं।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगणों ने अनावेदिका क. 2 से रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र दिनांक 15.04.2004 को भूमि क्रय की थी जिसका नामात्रंण कराए जाने के उपरांत आज दिनांक तक विधिवत्त कब्जा प्राप्त कर विधिवत काबिज चले आ रहे है इसी भूमि के संबंध में अनावेदक क. 3 द्वारा एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर विधिवत सभी पक्षों को आहूत किए बिना भूमि की जांच कराये बिना 165 (7) ख एमपी. म.प्र.भू.रा.

AJAY SHRIVASTAVA, ADVOCATE ITWARI HILLS SAGAR

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1528/दो 12 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-15	1— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 31/बी—121/2008—09 मे पारित आदेश दिनांक 26/12/11 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि कि संहिता की धारा 165 (7—ख) के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता हैं परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई है कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रया बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 3— आवेदक की ओर से तर्क मे कहा गया है कि इस प्रकरण में अनावेदक रामसेवक के आवेदन पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई है बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत क्रय शुदा भूमि को शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह भी तर्क किया गया है कि अनावेदक रामसेवक के आवेदन के आधार पर बंटन वर्ष 1997—98 को होना बताया गया है जबकि आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 विमला पत्नि संतराम से विक्रयपत्र दिनांक 15.04.2004 को भूमि क्रय की है तथा विमला द्वारा पूर्व में अनावेदक क्र. 1 ललंजू तनय पुनु अहिरवार विक्रयपत्र दिनांक 11.05.2001 को से भूमि क्रय की गई थी, ललंजू की पैत्रक भूमि है या बंटन भूमि है इस संबंध में कोई भी जॉच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई हैं क्रयसुदा भूमि का विधिवत् नामांतरण किया जा चुका था। इस कारण प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 12 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय पत्र को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेष निरस्त करने का अनुरोध किया है। 5– अनावेदक अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि अनावेदक क्र. 1 ललंजू के भूमि स्वामित्व की भूमि वर्ष 2001 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामांतरण भी विधिवत् किये जाने के उपरांत आवेदकगणों को विक्रय की है विक्रय पत्र बहाल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। 6– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का प्रथम विक्रय वर्ष 2001 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई है ऐसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधि ाकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैद्य नहीं माना जा सकता अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दि. 26.12.11 निरस्त किया जाकर आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में पूर्वतः दर्ज किए जावे। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	